तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
17/7/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से पत्रावली पर बहस सुनी गयी आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 42/2023

प्रार्थीगण :–

1. कोहलाराम पुत्र कानाराम
2. गजरो पत्नी कानाराम
3. ठाकराराम पुत्र कानाराम
4. हरचन्दराम पुत्र कानाराम
   जाति मेगवाल निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कोहला पुत्र राणा
2. तिलाराम पुत्र पूनमाराम
3. दूदाराम पुत्र पूनमाराम
4. धापूदेवी पत्नी पूनमाराम
5. बाबूराम पुत्र पूनमाराम
6. मंगला पुत्र राणा
7. हीरा पुत्र राणा जाति मेगवाल निवासी मंगले की बेरी
8. गेना पुत्र ईशरा
9. धना पुत्र खेता
10. पदमा पुत्र ईशरा जाति जाट निवासी बांकलसर
11. अणसी पत्नी नानगाराम
12. दमीदेवी पत्नी पोलाराम
13. दलूदेवी पत्नी पेमाराम
14. नानगाराम पुत्र निम्बाराम
15. पेमाराम पुत्र निम्बाराम
16. पोलाराम पुत्र निम्बाराम
    जाति जाट निवासी मंगले की बेरी तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
17. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुड़ामालानी
18. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा गुड़ामालानी
19. तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा मंगले की बेरी पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 40/1, 40/3 रकबा

उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

क्रमशः 14.6658, 8.7898 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गाठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील मंगले की बेरी पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी के खेत खसरा नम्बर 40/1, 40/3 रकबा क्रमशः 14.6658, 8.7898 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्र. वाद / 2023 / 738

दिनांक : 18/7/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

कोहलाराम वगैरा

कोहला वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......42 / 2023..

निर्णय दिनांक :– 17.07.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **मंगले की बेरी** के खेत खसरा नम्बर 40 / 1, 40 / 3 रकबा क्रमशः 14.6658, 8.7898 की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....नौखडा.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी
दिनांक : 18/7/23

क्रमांकः वाद / 2023 / 739-40
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार नौखडा
2. थानाधिकारी.......... RGT रावली नाडी नगर
3. हल्का पटवारी....मंगले की बेरी.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........कोहलाराम वगैरा
5. विप्रार्थीगण.....कोहला वगैरा....

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी